न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः—50 / 2020 / दावा

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राहमण निवासी राजपुरा (भीराणा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

बनाम

1. गुलाबी देवी पत्नि बृजमोहन
2. पवन कुमार
3. सुरेश कुमार
4. मनोज कुमार
5. सुभाष कुमार
6. मुन्नी देवी पुत्री बृजमोहन
7. मांगीलाल
8. ओमप्रकाश
9. रामोतार
10. निर्मलादेवी पुत्री बजरंगलाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण राजपुरा (भीराणा)तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

11. पटवारी, पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
12. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थितिः

1. श्री राजेन्द्र जाट वकील वादी की ओर सें।
2. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर सें।

निर्णय दिनांक 14.09.2020

1. वाद में वादी का कथन व वादसार इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की संयुक्त पैत्रिक कृषि भूमियां खसरा नम्बर 917 रकबा 2.96 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 2.96 हैक्टर वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसमें वादी का पैत्रिक हक, हिस्सा कब्जे काश्तशुदा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की वंशावली इस प्रकार हैः—

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ (सीकर)

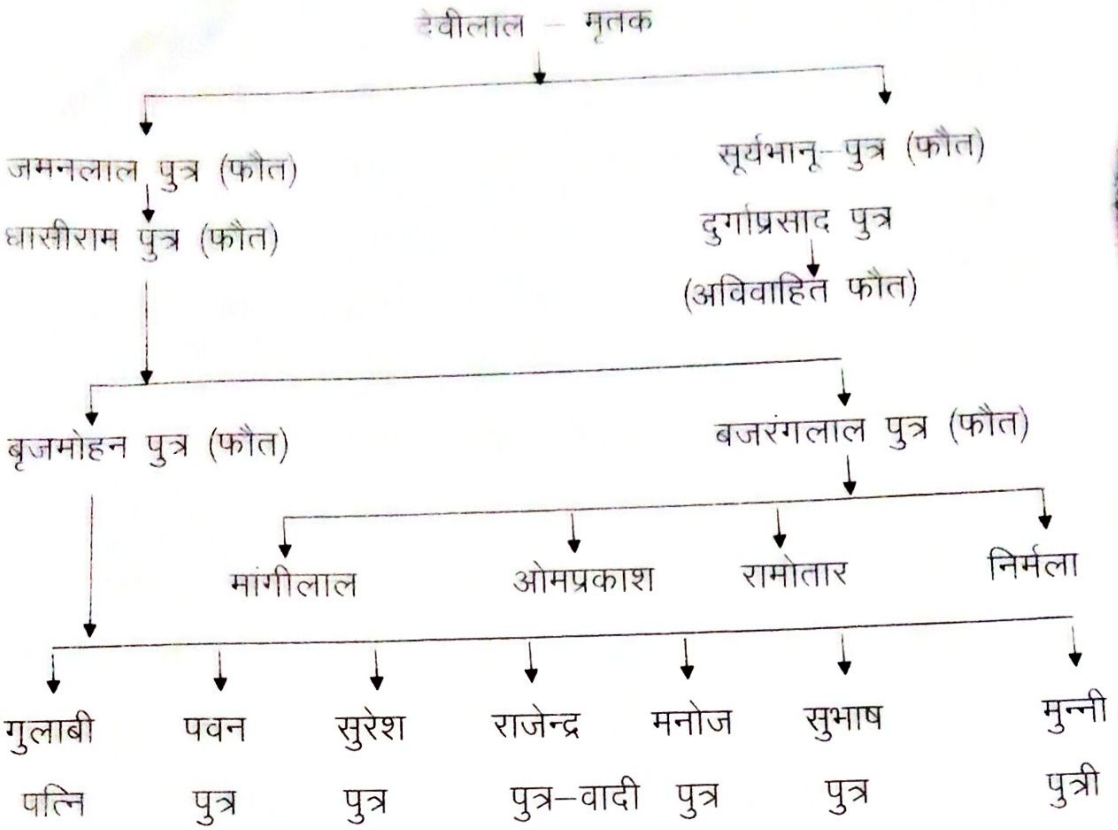

देवीलाल – मृतक

- जमनलाल पुत्र (फौत)
  - घासीराम पुत्र (फौत)
    - बृजमोहन पुत्र (फौत)
      - गुलाबी पत्नि
      - पवन पुत्र
      - सुरेश पुत्र
      - राजेन्द्र पुत्र–वादी
      - मनोज पुत्र
      - सुभाष पुत्र
      - मुन्नी पुत्री
    - बजरंगलाल पुत्र (फौत)
      - मांगीलाल
      - ओमप्रकाश
      - रामोतार
      - निर्मला
- सूर्यभानू–पुत्र (फौत)
  - दुर्गाप्रसाद पुत्र (अविवाहित फौत)

उक्त कृषि भूमि वादी के दादा स्वर्गीय घासीराम के भाई स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद के कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा रही है। उक्त वादी के दादा के भाई स्वर्गीय दुर्गाप्रसाद पुत्र सूर्यभानू का स्वर्गवास दिनांक 25.03.1977 को ना–औलाद अविवाहित हो चुका है तथा उक्त दुर्गाप्रसाद के कोई पुत्र पुत्री सन्तान नही थी जिसका एकमात्र वारिस वादी के दादा घासीराम पुत्र जमनलाल ही रहा है इस प्रकार उपरोक्त दुर्गाप्रसाद के कब्जे काश्त की पैतृक संपदा वादी के दादा घासीराम के कब्जे काश्त की पैतृक है वादी के दादा घासीराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके दो पुत्र बृजमोहन व बजरंग लाल रहें है जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है एवं वादी व प्रतिवादीगण सख्या 1 ता दस उक्त घासीराम के वारिसान ही है एवं मुताबिक सजरा खानदान उक्त संपद में वादी व प्रतिवादीगण सभी का समान हक हिस्सा है परंतु राजस्व रिकार्ड में अभी खातेदारी उक्त ना औलाद अविवाहित मृतक दुर्गाप्रसाद के नाम से ही चली हा रही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 917 की खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रहने से अब अन्य दिगर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

भूमाफिया लोगों की नजर इस भूमि पर टिकी हुई है एवं वे गुपचुप में उक्त सपदा को खुर्द-बुर्द करने एवं जालसाजी व फर्जी तरीके से दुर्गाप्रसाद के वारिस बताकर भूमियों को अन्यत्र हस्तान्तरित करना चहाते है। जबकि उक्त खातेदार दुर्गाप्रसाद के अविवाहित फोत हो जाने पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस के अलावा अन्य कोई उतराधिकारी नही है एवं उक्त पैतृक भूमियो की खातेदारी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त विवादित भूमियो की खातेदारी से मृतक खातेदार दुर्गाप्रसाद का नाम हजब कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ता दस को समान रूप से काबिज खातेदार काश्त का उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबदी में अमल दरामद किया जाना अतिआवश्यक है। वाद कारण पिछले अरसा करीब 15 रोज से दिगर भूमाफिया प्रवृति के लोगों द्वारा वादी के सम्पर्क मे रहने एवं भूमियों का मौका मुआयना करने पर उत्पन्न हुआ जो कि दावा दायरी के दिन तक चालु है। अतः वादी अन्त में वाद प्रस्तुत कर यह इस्तदुआ चाही कि खसरा नम्बर 917 रकबा 2.96 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 2.96 हैक्टर वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खातेदारी से मृतक खातेदार दुर्गाप्रसाद का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को समान रूप से अर्थात विवादास्पद भूमियों में से हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/7 की खातेदारी वादी राजेन्द्र कुमार के नाम से एवं इसी अनुसार हिस्सा 1/2 में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के प्रत्येक के नाम से हिस्सा 1/7 की खातेदारी अर्थात विवादास्पद कृषि भूमियों के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से हिस्सा बराबर की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड करवायी जायेगी एवं हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/4, 1 प्रत्येक के हिसाब से प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 अर्थात शेष हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 के नाम से खातेदारी काबिज काश्तकार उदघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दाँतारामगढ (सीकर)

रिकॉर्ड दुरूस्ती के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है तथा वादी के नाम खातेदारी की उदघोषणा होने तक प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त पैत्रिक संपदा को किसी भी प्रकार से खुर्दबुर्द कर वादी के उपयोग–उपभोग में दखलंदाजी करने आदि से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह रणवां हाजिर आये। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया गया। वादपत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की वाद में सहमति के आधार पर वादी का वाद प्रथम दृष्ट्या स्वीकार होने योग्य है। प्रतिवादीगण की सहमति पर तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में उदघोषणा इस प्रकार की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 917 रकबा 2.96 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 2.96 हैक्टर वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार दुर्गाप्रसाद का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को समान रूप से अर्थात विवादास्पद भूमियों में से हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/7 की खातेदारी वादी राजेन्द्र कुमार के नाम से एवं इसी अनुसार हिस्सा 1/2 में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के प्रत्येक के नाम से हिस्सा 1/7 की खातेदारी अर्थात विवादास्पद कृषि भूमियों के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से हिस्सा बराबर की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड करवायी जायेगी एव हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/4, 1 प्रत्येक के हिसाब से प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 अर्थात शेष हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 के नाम से खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा इसी

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ (सीकर)

अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। डिक्री जारी हो। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09..2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ जिला सीकर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ (सीकर)

अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

राजेन्द्र कुमार बनाम गुलाबी देवी आदि

दावा बाबत उदघोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

मुकदमा नं0 50 / दावा सन् 2020 निर्णय दिनांक 14.09.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री राजेन्द्र जाट** मिनजानिब मुददई व श्री राजेन्द्र सिंह रणवां मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से पेश राजीनामे के आधार पर अंतिम डिकी इस प्रकार से जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 917 रकबा 2.96 हैक्टर किता 1 कुल रकबा 2.96 हैक्टर वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का भीराणा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार दुर्गाप्रसाद का नाम हजफ किया जाता है तथा उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को समान रूप से अर्थात विवादास्पद भूमियों में से हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/7 की खातेदारी वादी राजेन्द्र कुमार के नाम से एवं इसी अनुसार हिस्सा 1/2 में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के प्रत्येंक के नाम से हिस्सा 1/7 की खातेदारी अर्थात विवादास्पद कृषि भूमियों के हिस्सा 1/2 में से हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से हिस्सा बराबर की खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड करवायी जायेगी एवं हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/4, 1 प्रत्येक के हिसाब से प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 10 अर्थात शेष हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 10 के नाम से खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्णय की पालना कर न्यायायय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2020 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	--	--	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	--	--	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	--	--	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	--	--	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	--	--	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट. इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोककुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ़ (सीकर)